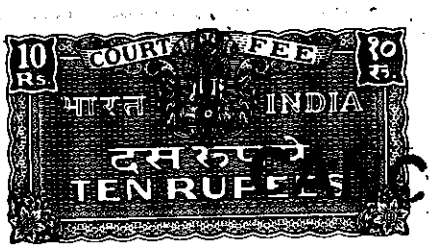

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

501

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र.   /2007 आर. शिवपुरी R.1229-I/0

श्री ओ० पी० सिंह अभि० द्वारा आज दि० 23.7.07 को प्रस्तुत।
23.7.7
सहायक सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

1. गोविन्दी
2. हेमा
3. मुख्खा पुत्र गण हल्कू
4. बेटी
5. शान्ति पुत्रीगण हल्कू
6. गिरवर पुत्र तिजुआ
7. कस्तूरी पुत्री चतुरा

समस्त जाति जाटव निवासी ग्राम नरौआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....आवेदकगण

बनाम

ओ.पी. सिंह अभिभाषक

1. मुन्ना
2. रामदास
3. जंगी
4. लखन पुत्रगण दुर्गा
5. गनेसिया वेवा दुर्गा
6. नत्थू पुत्र डरूआ उर्फ भोटू
7. दिवला वेवा डरूआ
8. खिम्मो
9. कमला पुत्रीगण डरूआ

समस्त जाति जाटव निवासी ग्राम नरौआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.06.2007 द्वारा पारित अपर आयुक्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 1229–एक/2007 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश गोबिन्दी आदि विरूद्ध मुन्ना आदि	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29 –11–2016	यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 240/अपील/05–06 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है कि अनावेदकगण मुन्ना आदि द्वारा संहिता की धारा 113 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र प्रविष्टि सुधार किए जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी करेरा जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपने आदेश दिनांक 8.7.05 से लिपिकीय भूल मान्य की जाकर प्रविष्टि सुधार का आदेश जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश दिनांक 8.7.05 के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो पारित आदेश दिनांक 12.6.07 से यह अंकित करते हुए कि " संहिता की धारा 113 के अंतर्गत लिपिकीय त्रुटि सुधारने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को ही है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश मूल आदेश की श्रेणी मे आता है और ऐसे मूल आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर को होगी, इस न्यायालय को नहीं, प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने के आधार पर अपने आदेश दिनांक 12.6.07 से अपील को बिना परिणामिक आदेश के समाप्त कर दिया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश दिनांक 12.6.07 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री डी0एस0	

चौहान उपस्थित हुए तथा अनावेदक पूर्व से ही एक पक्षीय है। आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गये । आवेदक अधिवता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया जो निगरानी मेमो में अंकित है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष व्यक्त किए गये थे जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका में अंकित होने से यहां दुहराये जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है।

निगरानी मेमों में अंकित बिन्दुओं पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 113 के तहत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर से उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रविष्टि सुधार का आदेश जारी किया गया । संहिता की धारा 113 के तहत प्रविष्टि सुधार करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को ही है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का न्यायालय विचारण न्यायालय की श्रेणी में आने से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील संहिता की धारा 44(1)(ख) के तहत कलेक्टर को होगी,। इस प्रकरण में आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 8.7.05 के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त को प्रस्तुत की गयी है जो विधि एवं प्रकिया के विपरीत है। अतः अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 44 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश गोबिन्दी आदि विरूद्ध मुन्ना आदि	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

3

ग्वालियर के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 12.6.2007 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से स्थिर रखा जाता है। यह निगरानी अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो।

सदस्य